संख्या–वे0आ0–2–1632/दस–62(एम)/2008

प्रेषक,

मनजीत सिंह,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊ : दिनांक : **05** नवम्बर, 2009

विषयः– वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, समस्त श्रेणी के राज्य कर्मचारियों/अधिकारियों के लिए वर्तमान में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था के स्थान पर दिनांक 01 जनवरी, 2006 से प्रभावी पुनरीक्षित वेतन संरचना में सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की नई व्यवस्था निम्नवत् लागू किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

(1) उक्त नई व्यवस्था पुनरीक्षित वेतन संरचना में दिनांक 01 दिसम्बर, 2008 से प्रभावी होगी। दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक पुनरीक्षित वेतन संरचना में समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था ही लागू रहेगी। परिणामस्वरुप, दिनांक 01 जनवरी, 1996 से लागू वेतनमानों में रु0 8000–13500 या उससे उच्च वेतनमान के पदधारकों के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान की दिनांक 31 दिसम्बर, 2005 तक प्रभावी पूर्व व्यवस्था दिनांक 30 नवम्बर, 2008 तक लागू समझी जायेगी। शासनादेश संख्या–वे0आ0– 2–1314/ दस–59(एम)/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 का प्रस्तर–4 इस सीमा तक संशोधित समझा जायेगा।

(2) (i) ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियमित नियुक्ति की तिथि से 10 वर्ष, 20 वर्ष व 30 वर्ष की अनवरत् संतोषजनक सेवा के आधार पर, तीन वित्तीय स्तरोन्नयन इस प्रतिबन्ध के साथ दिये जायेंगे कि प्रत्येक वित्तीय स्तरोन्नयन संबंधित कार्मिक द्वारा **एक ही ग्रेड वेतन में** 10 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर लेने पर देय होगा।

(ii) उपर्युक्तानुसार देय तीन स्तरोन्नयन दिनांक 01 जनवरी,

2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में ही अनुमन्य होंगे।

(iii) संतोषजनक सेवा पूर्ण न होने के कारण यदि किसी कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन विलम्ब से प्राप्त होता है तो उसका प्रभाव आने वाले अगले वित्तीय स्तरोन्नयन पर भी पड़ेगा। अर्थात अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु निर्धारित 10 वर्ष की अवधि की गणना प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के प्राप्त होने की तिथि से ही की जायेगी।

(iv) ए0सी0पी0 की व्यवस्था लागू होने के पश्चात् सीधी भर्ती के किसी पद पर प्रथम नियुक्ति के पश्चात संवर्ग में प्रथम पदोन्नति होने के उपरान्त केवल द्वितीय एवं तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन तथा द्वितीय पदोन्नति प्राप्त होने के उपरान्त तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ ही देय रह जायेगा। तीसरी पदोन्नति प्राप्त होने की तिथि के पश्चात किसी भी दशा में वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य न होगा। इस सन्दर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि दिनांक 01 जनवरी, 2006 से लागू पुनरीक्षित वेतन संरचना में एक ही संवर्ग में यदि समान ग्रेड वेतन वाले पद पर पदोन्नति हुई है, तो उसे भी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु पदोन्नति माना जायेगा।

(v) प्रदेश के अन्य राजकीय विभागों में समान ग्रेड वेतन में की गयी नियमित सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में लिया जायेगा, परन्तु ऐसे मामलों में ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत देय किसी लाभ हेतु नये विभाग के पद पर परिवीक्षा अवधि (Probation Period) संतोषजनक रुप से पूर्ण करने के पूर्व विचार नहीं किया जायेगा।

(vi) ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन हेतु नियमित सन्तोषजनक सेवा की गणना में प्रतिनियुक्ति/वाह्य सेवा, अध्ययन अवकाश तथा सक्षम स्तर से स्वीकृत सभी प्रकार के अवकाश की अवधि को सम्मिलित किया जायेगा।

(vii) केन्द्र सरकार/स्थानीय निकाय/स्वशासी संस्था/सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम में की गयी पूर्व सेवा को वित्तीय स्तरोन्नयन के लिए गणना में नहीं लिया जायेगा।

(3) निर्धारित सेवावधि पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य होने वाला ग्रेड वेतन शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1318/दस– 59(एम)/2008, दिनाक 08 दिसम्बर, 2008 के संलग्नक **"अ"** पर उपलब्ध तालिका के स्तम्भ–**5** के अनुसार अनुमन्यता की तिथि से पूर्व देय ग्रेड वेतन से अगला ग्रेड वेतन होगा। इस प्रकार किसी पद पर वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप मे प्राप्त होने वाला ग्रेड वेतन कुछ मामलों में सबंधित पद तथा उसके पदोन्नति के पद के ग्रेड वेतन के मध्य का ग्रेड वेतन हो सकता है। ऐसे

मामलो में संबंधित पदधारक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन उसे वास्तविक रूप से पदोन्नति प्राप्त होने पर ही अनुमन्य होगा। वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अनुमन्य अधिकतम ग्रेड वेतन रू0 12000/– वेतन बैण्ड–4 होगा।

(4) समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 08 वर्ष तथा 19 वर्ष के आधार पर अनुमन्य अतिरिक्त वेतनवृद्धि को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत देय वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु संज्ञान में नहीं लिया जायेगा। जिन कार्मिकों को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत 14 वर्ष की सेवा के आधार पर प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय / अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें ए0सी0पी0 के अन्तर्गत प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन अनमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार जिन कार्मिको को 24 वर्ष की सेवा के आधार पर द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य हो चुका हो, उन्हें प्रथम तथा द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य नहीं होगा।

परन्तु, 01 दिसम्बर, 2008 के पूर्व प्राप्त पदोन्नति तथा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य पदोन्नतीय वेतनमान/अगले वेतनमान के लिये अनुमन्य ग्रेड वेतन, पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतनमानों के संविलियन/पदों के उच्चीकरण के फलस्वरूप सम्बन्धित पद के सामान्य ग्रेड वेतन के समान हो जाने की स्थिति में ऐसी पदोन्नतियों अथवा समयमान वेतनमान के अन्तर्गत स्वीकृत पदोन्नति वेतनमान/अगले वेतनमान को ए0सी0पी0 योजना का लाभ देते समय संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

(5) यदि किसी संवर्ग/पद के सम्बन्ध में समयमान वेतनमान/समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था लागू हो तो उस व्यवस्था को भविष्य में बनाये रखने अथवा उसके स्थान पर ए0सी0पी0 की उपर्युक्त व्यवस्था लागू करने के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्णय लिया जाये। किसी भी संवर्ग/पद हेतु समयमान वेतनमान/ समयबद्ध आधार पर प्रोन्नति की कोई विशिष्ट व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की व्यवस्था दोनों एक साथ लागू नहीं होगी।

(6) वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ अनुमन्य होने के आधार पर सम्बन्धित कर्मचारी के पदनाम, श्रेणी अथवा प्रास्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु मूल वेतन के आधार पर देय वित्तीय एवं सेवानैवृत्तिक तथा अन्य लाभ सम्बन्धित कार्मिक को वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरूप निर्धारित मूल वेतन के आधार पर अनुमन्य होंगे।

(7) यदि किसी कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही/दण्डन कार्यवाही प्रचलन में हो तो ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अंतर्गत स्तरोन्नयन के लाभ की अनुमन्यता उन्हीं नियमों से शासित होगी जिन नियमों के अधीन उपर्युक्त परिस्थितियों में सामान्य प्रोन्नति की व्यवस्था शासित होती है। अतः ऐसे मामले उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील

नियमावली, 1999 के सुसंगत प्रावधानों एवं तत्क्रम में जारी निर्देशों से विनियमित होंगे।

(8) इस योजना के अर्न्तगत प्राप्त वित्तीय स्तरोन्नयन पूर्णतयः वैयक्तिक है और इसका कर्मचारी की वरिष्ठता से कोई सम्बन्ध नहीं है। कोई कनिष्ठ कर्मचारी इस व्यवस्था के अन्तर्गत उच्च वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त करता है, तो वरिष्ठ कर्मचारी इस आधार पर उच्च वेतन/ग्रेड वेतन की मांग नही कर सकेगा कि उससे कनिष्ठ कर्मचारी को अधिक वेतन/ग्रेड वेतन प्राप्त हो रहा है।

(9) यदि कोई सरकारी सेवक किसी वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु अर्ह होने के पूर्व ही उसे दी जा रही नियमित पदोन्नति लेने से मना करता है तो उस सरकारी सेवक को अनुमन्य उस वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ नहीं दिया जायेगा। यदि वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य कराये जाने के पश्चात् सम्बन्धित सरकारी सेवक द्वारा नियमित प्रोन्नति लेने से मना किया जाता है तो सम्बन्धित सरकारी सेवक को अनुमन्य किया गया वित्तीय स्तरोन्नयन वापस नहीं लिया जायेगा, तथापि ऐसे सरकारी सेवक को अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु तब तक अर्हता के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि वह पुनः प्रोन्नति पर विचार किये जाने हेतु सहमत न हो जाये। उक्त स्थिति में अगले वित्तीय स्तरोन्नयन की देयता हेतु समयावधि की गणना में, पदोन्नति लेने से मना करने तथा पदोन्नति हेतु पुनः सहमति दिये जाने के मध्य की अवधि को, सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(10)ऐसे सरकारी सेवक जो उच्च पदों पर कार्यरत हैं और उन्हें निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर मिल रहे ग्रेड वेतन के समान अथवा निम्न है, तो निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि तक अनुमन्य नहीं होगा परन्तु सम्बन्धित सरकारी सेवक के निम्न पद पर आने पर उक्त लाभ देयता की तिथि से काल्पनिक आधार पर अनुमन्य कराते हुए उसका वास्तविक लाभ उसके निम्न पद पर आने की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि निम्न पद के आधार पर देय वित्तीय स्तरोन्नयन उच्च पद पर अनुमन्य ग्रेड वेतन से उच्च है तो सम्बन्धित वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देयता की तिथि से ही अनुमन्य होगा।

(11)प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण पर कार्यरत सरकारी सेवकों को ए०सी०पी० की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त करने हेतु अपने पैतृक विभाग के मूल पद के आधार पर ए०सी०पी० के अंतर्गत देय वेतन बैण्ड में वेतन एवं ग्रेड वेतन अथवा प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के वर्तमान पद पर अनुमन्य हो रहे वेतन एवं ग्रेड वेतन, जो भी लाभप्रद हो, को चुनने का विकल्प होगा।

(12)पूर्व में लागू समयमान वेतनमान की व्यवस्था तथा ए0सी0पी0 की उपर्युक्त नई व्यवस्था के अन्तर्गत एक ही संवर्ग में अनुमन्य कराये गये समयमान वेतनमान / वित्तीय स्तरोन्नयन में सम्भावित किसी अन्तर को विसंगति नहीं माना जायेगा।

2— वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वेतन निर्धारण संलग्नक–1 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा। तदोपरान्त कर्मचारी की उसी ग्रेड वेतन, जो वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य हुआ है, में नियमित पदोन्नति होने पर कोई वेतन निर्धारण नहीं किया जायेगा, परन्तु यदि पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में प्राप्त ग्रेड वेतन से उच्च है, तो बैण्ड वेतन अपरिवर्तित रहेगा और संबंधित कार्मिक को पदोन्नति के पद का ग्रेड वेतन देय होगा।

3— (1) वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता के प्रकरणों पर विचार किये जाने हेतु प्रत्येक विभाग में एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया जायेगा। उक्त स्क्रीनिंग कमेटी में अध्यक्ष एवं दो सदस्य होंगे। स्क्रीनिंग कमेटी में ऐसे अधिकारियों को सदस्य के रूप में नामित किया जायेगा, जिनके द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन उन कार्मिकों के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा, जिनके सम्बन्ध में वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता पर विचार किया जाना प्रस्तावित हो और किसी भी स्थिति में नामित सदस्य द्वारा धारित पद का ग्रेड वेतन श्रेणी–ख के अधिकारी के ग्रेड वेतन से कम नहीं होगा। स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का ग्रेड वेतन कमेटी के सदस्यों द्वारा धारित पद के ग्रेड वेतन से कम से कम एक स्तर उच्च होगा।

(2) स्क्रीनिंग कमेटी की प्रत्येक वर्ष के माह जनवरी तथा जुलाई में सामान्यतः दो बैठकें आयोजित की जायेंगी। माह जनवरी में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह दिसम्बर तक के मामलों पर विचार किया जायेगा तथा माह जुलाई में होने वाली बैठक में पूर्ववर्ती माह जून तक के मामलों पर विचार किया जायेगा।

(3) उक्त स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा अपनी संस्तुतियाँ बैठक की तिथि से 15 दिन की अवधि में सम्बन्धित पदों के नियुक्ति प्राधिकारी / वित्तीय स्तरोन्नयन स्वीकृत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जायेंगी।

(4) समस्त विभागों में सम्बन्धित संवर्ग नियंत्रक अधिकारियों द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी का गठन इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से एक माह की अवधि में कर लिया जायेगा।

(5) उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ सम्बन्धित नियुक्ति प्राधिकारी / स्वीकर्ता अधिकारी द्वारा विभाग की स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर स्वीकृत किया जायेगा।

4— ए0सी0पी0 की व्यवस्था राजकीय संस्थाओं के ऐसे शैक्षिक पदों पर भी लागू होगी जिन पर राज्य कर्मचारियों के समान समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था अनुमन्य रही है।

5— ए0सी0पी0 की उक्त व्यवस्था राजकीय न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होगी।

6— ए0सी0पी0 की उपरोक्त व्यवस्था के सन्दर्भ में शासनादेश संख्या—वे0आ0—2—1318/दस—59एम/2008, दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के अन्तर्गत पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने के सम्बन्ध में दिये गये विकल्प के स्थान पर संशोधित विकल्प इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से 90 दिन के अन्दर प्रस्तुत किया जा सकेगा।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

(मनजीत सिंह)
प्रमुख सचिव।

पृष्ठांकन संख्या—वे0आ—2—1632 (1)/दस—62एम/2008, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :——

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी—I एवं II तथा आडिट—I एवं II, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4. महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क, उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक, अधिष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग।
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
8. उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
9. इरला चेक अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
10. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(नरेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संलग्नक–1

शासनादेश संख्या–वे0आ0–2–1632 / दस–62(एम) / 2008, दिनांक 05 नवम्बर, 2009 का संलग्नक

पुनरीक्षित वेतन संरचना में लागू ए0सी0पी0 के अन्तर्गत अनुमन्य वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन निर्धारण की प्रकिया

पुनरीक्षित वेतन संरचना में प्रभावी ए0सी0पी0 की व्यवस्था के अनुसार वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर सम्बन्धित कार्मिक का वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग–2 से 4 के मूल नियम 22 बी(1) के अनुसार निर्धारित किया जायेगा। सम्बन्धित सरकारी कार्मिक को ए0सी0पी0 के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर वित्तीय नियम–23(1) के अन्तर्गत यह विकल्प होगा कि वह वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि अथवा अगली वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण करवा सकता है। पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा :––

(1) यदि सम्बन्धित सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने पर निम्न ग्रेड वेतन की वेतनवृद्धि की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि को वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन अपरिवर्तित रहेगा, किन्तु वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। अगली वेतनवृद्धि की तिथि अर्थात 01 जुलाई को वेतन पुनर्निर्धारित होगा। इस तिथि को सम्बन्धित सेवक को दो वेतनवृद्धियॉ, एक वार्षिक वेतनवृद्धि तथा दूसरी वेतनवृद्धि वित्तीय स्तरोन्नयन के फलस्वरुप देय होगी। इन दोनों वेतनवृद्धियों की गणना वित्तीय स्तरोन्नयन अनुमन्य होने की तिथि के पूर्व के मूल वेतन के आधार पर की जायेगी। उदाहरण स्वरुप, यदि वित्तीय स्तरोन्नयन के अनुमन्य होने की तिथि से पूर्व मूल वेतन रु0 100.00 था, तो प्रथम वेतन वृद्धि की गणना रु0 100.00 पर तथा द्वितीय वेतनवृद्धि की गणना रु0 103.00 पर की जायेगी।

(2) यदि सरकारी सेवक वित्तीय स्तरोन्नय अनुमन्य होने की तिथि से वेतन निर्धारण हेतु विकल्प देता है तो वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन में उसका वेतन निम्नानुसार निर्धारित किया जायेगा :––

वर्तमान वेतन बैण्ड में वेतन तथा वर्तमान ग्रेड वेतन के योग की 03 प्रतिशत धनराशि को अगले 10 में पूर्णांकित करते हुए एक वेतनवृद्धि के रुप में आगणित किया जायेगा। तद्नुसार आगणित वेतनवृद्धि की धनराशि वेतन बैण्ड में प्राप्त वर्तमान वेतन में जोडी जायेगी। इस प्रकार

प्राप्त धनराशि वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में वेतन होगा, जिसके साथ वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य ग्रेड वेतन देय होगा। जहॉ वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य वेतन बैण्ड में परिवर्तन हुआ हो वहॉ भी इसी पद्धति का पालन किया जायेगा तथापि वेतनवृद्धि जोड़ने के बाद भी जहॉ वेतन बैण्ड में आगणित वेतन वित्तीय स्तरोन्नयन के रुप में अनुमन्य उच्च वेतन बैण्ड के न्यूनतम से कम हो, तो तद्नुसार आगणित वेतन को उक्त वेतन बैण्ड में न्यूनतम के बराबर तक बढ़ा दिया जायेगा।

नोटः– यदि सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नयन किसी वर्ष में दिनांक 02 जुलाई से 01 जनवरी तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अनुवर्ती 01 जुलाई को देय होगी। **उदाहरण–** किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जुलाई, 2009 से 01 जनवरी, 2010 तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

यदि वित्तीय स्तरोन्नय किसी वर्ष में 02 जनवरी से 30 जून तक अनुमन्य हुआ है तो उसे अगली वेतनवृद्धि अगले वर्ष की पहली जुलाई को देय होगी। **उदाहरण–**किसी सरकारी सेवक को वित्तीय स्तरोन्नय यदि 02 जनवरी, 2009 से 30 जून, 2009 तक अनुमन्य हुआ है, तो उसे अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2010 को देय होगी।

पी0एस0 यू0पी0–ए0पी0 71 सा0 वित्त–6–11–2009–(1556)–5000 प्रतियां–(कम्प्यूटर/आफसेट)।